<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 10/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 10/ 2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

जारी करने की तारीख: 27 अगस्त, 2021

सेवा	**: ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	**: मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**
हवाईअड्डा	**: कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर**

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ निर्धारण करने के मामले में

1.1 मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स सैलेबी) दिनांक 02 मई, 2018 के सेवा प्रदाता अधिकार धारक करार (एसपीआरएचए) के माध्यम से कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) द्वारा नियुक्त एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी है। मैसर्स सैलेबी और बीआईएएल के बीच किया गया करार दस (10) वर्ष अर्थात 01.05.2028 तक वैध है।

1.2 प्राधिकरण ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के आदेश संख्या 35/2018-19 द्वारा कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए 'लाईट टच अप्रोच' के तहत टैरिफ निर्धारित की है।

1.3 प्राधिकरण ने दिनांक 25 मार्च, 2021 के अपने आदेश संख्या 67/2020-21 द्वारा 31 मार्च, 2021 को लागू टैरिफ को आगे 30 सितम्बर, 2021 तक या तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का निर्धारण होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

1.4 सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स सैलेबी ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ के संशोधन की मांग करते हुए 06.04.2021 को बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत कर दिया है।

2. **"लाइट टच अप्रोच" के अंतर्गत वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांत**

2.1 प्राधिकरण ने दिनांक 10.01.2011 के अपने आदेश संख्या 12/2010-11 और 10.01.2011 को जारी निदेश संख्या 04/2010-11 द्वारा प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं और विमान में ईंधन की आपूर्ति के आर्थिक विनियमन में विनियामक सिद्धांत एवं दृष्टिकोण के मामले में अपनी पद्धति को अंतिम रूप दिया था। प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण करने संबंधी शर्तें एवं निबंधन) दिशा-निर्देश, 2011 (**"**दिशा-निर्देश*")* जारी किए हैं।

2.2 ऐरा के ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा निदेशों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

स्तर I: **मटिअरिएलिटी**:

$$\text{Materiality Index (MIg)} = \frac{\textit{Int. Aircraft Movement at Bangalore Airport}}{\textit{Total Intl.Aircraft Movement at major airports}}\ \boldsymbol{X100}$$

The materiality index at Bangalore Airport = 30311/438049

= 6.92%

केआईए, बैंगलोर के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का प्रतिशत भाग *6.92%* है, जो उपर्युक्त विषय की सेवा के लिए *5%* मटिअरिएलिटी इंडेक्स (एमआईजी) से अधिक है। अत: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियमित सेवा **'मटिरियल'** समझी जाती है।

स्तर II: **प्रतिस्पर्धा :**

2.3 प्राधिकरण ने दिनांक 12 जनवरी, 2017 के आदेश संख्या 15/2016-17 द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी -2016) के प्रावधानों के संबंध में सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रतिस्पर्धा के मूल्यांकन के लिए एयर इंडिया की सहायक/ संयुक्त उद्यम कंपनियों सहित तीन (3) ग्राउंड हैंडलिंग एंजेसियां मानने का निर्णय लिया। प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन संबंधी फार्म एफ-1(बी) में मैसर्स सैलेबी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एयर इंडिया सैट्स (एआईएसएटीएस) जैसे अन्य सेवा प्रदाता बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अत: इस मामले में सैलेबी सहित तीन (03) ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता हैं और इस कारण से इस सेवा को '**प्रतिस्पर्धी**' माना जाता है।

स्तर III: **मौजूदा प्रयोक्ता करार(रों) का औचित्य** :

2.4 मैसर्स सैलेबी ने बीआईएएल के साथ किए गए सेवा प्रदाता अधिकार धारक करार (एसीपीआरएचए) की प्रति प्रस्तुत की है, जो 01 मई, 2028 तक वैध है।

2.5 मैसर्स सैलेबी ने सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 अक्तूबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए हितधारकों के परामर्श (एयूसीसी) के लिए आयोजित बैठक का 'कार्यवृत्त' भी प्रस्तुत किया।

2.6 प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ में संशोधन की मांग संबंधी बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और दिनांक 31.05.2021 का परामर्श पत्र संख्या 06/2021-22 जारी किया।

2.7 प्राधिकरण को परामर्श पत्र संख्या 06/2021-22 के संबंध में लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात 21.06.2021 तक किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

3. यातायात *(उड़ान संचालन)*

मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) पर प्रस्तुति

3.1 मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि (*वित्त वर्ष* 2021-22 *से वित्त वर्ष* 2025-26 *तक*) के लिए अनुमानित यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानें) नीचे बताए अनुसार है:

तलिका 1: मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों की संख्या).

वर्ष	अंतरदेशीय (लैंडिंग)	अंतरराष्ट्रीय (लैंडिंग)	कुल	YoY % Change		
				अंतरदेशीय	अंतरराष्ट्रीय	कुल
2021-22	6534	1019	**7553**	-	-	**-**
2022-23	10488	2524	**13012**	60.51	147.73	**72.27**
2023-24	12723	3184	**15908**	21.32	26.15	**22.25**
2024-25	12775	3493	**16269**	0.41	9.70	**2.27**
2025-26	12830	3621	**16451**	0.43	3.66	**1.12**

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में प्राधिकरण की जांच :

3.2 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए की गई प्रस्तुति के अनुसार यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) में संवृद्धि को मानने का निर्णय लिया।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय:

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है :

3.3 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 1 के अनुसार यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानें) मानने का निर्णय लेता है।

4. ***पूंजीगत व्यय***

एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के संबंध में मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर की प्रस्तुति।

4.1 एमवाईटीपी प्रस्तुति के अनुसार मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025 -2026) के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की खरीद के लिए 1800.00 लाख रूपए और वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लिए सुरक्षा जमा के लिए 551.00 लाख रूपए के कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुमान किया है। मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए परिसपंत्ति-वार अनुमानित पूंजीगत व्यय नीचे दिया गया है:

तालिका 2: मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रस्तुत अनुमानित पूंजीगत व्यय

राशि (रूपए लाख में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण	0	243	615	458	148	**1464**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	0	8	1	1	1	**11**
वाहन	0	0	295	0	0	**295**
कार्यालय उपकरण	6	12	1	1	1	**21**
कमप्यूटर	0	0	4	1	4	**9**
सुरक्षा जमा	0	0	228	181	142	**551**
कुल	**6**	**263**	**1145**	**641**	**296**	**2351**

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राधिकरण की जांच :

4.2 प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 2351.00 लाख रूपए के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय की जांच की और नोट किया कि ग्राउंड हैंडलिंग उपस्करों और वाहनों की खरीद के लिए 1759.00 लाख रूपए का खर्च किया जाना है (देखें उपर्युक्त तालिका 2)। मैसर्स सैलेबी ने यह भी कहा है कि पूंजीगत व्यय तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आर केआईए, बैंगलोर में कारोबार की संभावित वृद्धि की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित होगा। इस कारण से प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यथा प्रस्तावित कैपेक्स को मानने का निर्णय लिया।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय:

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया है:

4.3 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 2 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।

5. ***प्रचालन व्यय***

मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय संबंधी प्रस्तुति

5.1 निदेश संख्या 4/2010-11 में उल्लिखित सीजीएफ दिशा–निर्देश के खंड 9.4 में दिए गए प्रावधान के अनुसार सेवा प्रदाता(ओं) द्वारा वहन किए जाने वाले प्रचालन और अनुरक्षण व्यय में सुरक्षा पर किया गया व्यय, प्रचालन लागत, अन्य अधिदेशित प्रचालन लागत और सांविधिक प्रचालन लागतें शामिल हैं।

5.2 मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर द्वारा की गई प्रस्तुति के अनुसार प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

क) पेरोल लागतें;

ख) प्रशासानिक और सामान्य व्यय;

ग) उपयोगिता और बाहरी स्रोत संबंधी लागतें

घ) रियायत शुल्क

ङ) मरम्मत और अनुरक्षण व्यय;

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में प्राधिकरण की जांच:

5.3 सैलेबी, बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत एसीएस (वार्षिक अनुपालन विवरण) के अनुसार प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026) के लिए अनुमानित राजस्व और प्रचालन व्यय (ओपेक्स) के साथ-साथ वित्त वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित आंकड़ो और वित्त वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़ो की जांच की, जो नीचे बताए अनुसार है:

तालिका 3: मैसर्स सैलेबी द्वारा वास्तविक (वित्त वर्ष 2019-20) और तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए अनुमानित राजस्व तथा प्रचालन व्यय

राशि (रूपए लाख में)

विवरण		राशि (रूपए लाख में)						CAGR	YoY % Change					
	2019-20*	2020-21#	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व	**655**	**1455**	**2306**	**4959**	**6577**	**7668**	**8551**	**39%**	**122**	**59**	**115**	**33**	**17**	**12**
कुल प्रचालन व्यय	**904**	**1562**	**2434**	**4391**	**5450**	**6234**	**6906**	**30%**	**73**	**56**	**80**	**24**	**14**	**11**
पेरोल लागत	333	632	1121	1904	2437	2776	3084	29%	90	77	70	28	14	11
प्रशासनिक एवं सामान्य लागत	109	217	344	641	789	887	977	30%	99	59	86	23	12	10
उपयोगिता एवं बाह्य स्रोत संबंधी लागत	147	270	422	624	628	681	727	15%	84	56	48	1	8	7
रियायत शुल्क	304	425	513	1179	1547	1840	2064	42%	40	21	130	31	19	12
मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत	11	18	34	43	49	51	53	12%	68	89	26	13	5	5

(* 2019-20 **के लेखापरीक्षित आंकड़े और** # 2020-21 **के लेखा परीक्षा न किए गए आंकड़े**)

5.4 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यथाप्रस्तावित प्रचालन व्यय का विश्लेषण किया और तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक) के लिए अनुमानित प्रचालन व्यय में काफी बढ़ोतरी देखी और मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर से स्पष्टीकरण मांगा गया। इस संबंध में मैसर्स सैलेबी ने सूचित किया कि यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) में वृद्धि के परिणामस्वरूप न केवल प्रचालन खर्च में बढ़ोतरी होगी बल्कि इससे राजस्व भी बढ़ेगा। प्राधिकरण ने नोट किया कि राजस्व में YoY% वृद्धि प्रचालन खर्च की YoY% वृद्धि से अधिक है।

5.5 मैसर्स सैलेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लाभ और हानि लेखा के लेखा परीक्षित आंकड़े और वित्त वर्ष 2020-21 के लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकरण ने लाभ और हानि लेखा विवरणों के आधार पर नोट किया कि मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर को वित्त वर्ष 2018-19 में 259.41 लाख रूपए और 2019-20 में 821.36 लाख रूपए तथा 2020-21 में 647.41 लाख रूपए की हानि (अनुमानित) हुई है।

5.6 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के अनुमानित वित्तीय विवरणों के आधार पर नोट किया कि मैसर्स सैलेबी को वित्त वर्ष 2021- 22 में भी 711.60 लाख रूपए की हानि होगी।

5.7 प्राधिकरण ने अवलोकन किया कि वित्त वर्ष 2019-20 (सामान्य वर्ष होने के कारण) का राजस्व वित्त वर्ष 2020-21 के राजस्व की तुलना में बहुत कम था। इस संबंध में मैसर्स सैलेबी ने सूचित किया कि वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक राजस्व कम था, क्योंकि केआईए, बैंगलोर में उनके प्रचालन का यह प्रथम वर्ष था।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय

प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री और इसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन व्यय के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया है:

5.8 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 3 के अनुसार प्रचालन व्यय को मानने का निर्णय लेता है।

6. **वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव**

मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर की एमवाईटीपी के भाग के रूप में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव संबंधी प्रस्तुति।

6.1 मैसर्स सैलेबी ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए बहु वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और परामर्श पत्र की तालिका 4 के अनुसार टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव किया है (देखें संलग्नक-I) ।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकरण की जांच

6.2 प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव का विश्लेषण कर नोट किया कि सेवा प्रदाता द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के लिए प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (-) 5% से 68% की रेंज के बीच है तथा पिछले वर्ष में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान के लिए यह रेंज 20 % से 25 % तक रही है। यह विभिन्न श्रेणी की यात्री तथा मालवाहक उड़ानों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक समान 2.5 % सीएजीआर को दर्शाता है।

6.3 प्राधिकरण ने नोट किया कि मैसर्स सैलेबी द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित टैरिफ ऐरा द्वारा केआईए, बैंगलोर में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतरदेशीय यात्री उड़ानों को छोड़कर एआईएसएटीएस और मैसर्स ग्लोब ग्राउंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीजीआई) के लिए अनुमोदित दरों से कम है। यह देखा गया है कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता द्वारा इन दिनों संचालित की जाने वाली अंतरदेशीय उड़ान की संख्या बहुत कम है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा में एजेंसी द्वारा वसूल की जाने वाली दरों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

6.4 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर को वित्त वर्ष 2018-19 में 259.41 लाख रूपए, 2019-20 में 821.36 लाख रूपए और 2020-21, 647.41 लाख रूपए (अनुमानित) की हानि हुई है तथा वित्त वर्ष 2021-22 में भी 711.60 लाख रूपए की हानि होगी।

6.5 प्राधिकरण ने इसे ध्यान में रख कर सेवा प्रदाता द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से अधिक टैरिफ की वृद्धि को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

6.6 प्राधिकरण ने 30 अक्तूबर, 2020 को हितधारकों के परामर्श (एयूसीसी) के लिए आयोजित बैठक के 'कार्यवृत्त' के आधार पर अवलोकन किया कि मैसर्स सैलेबी, बैंगलोर ने प्रस्तावित टैरिफ दरें हितधारकों की बैठक में पेश नहीं की।

तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ प्रस्ताव के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय

6.7 मैसर्स सैलेबी द्वारा बैंगलोर हवाईअड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, 2008 (अधिनियम) की धारा 2 (ए) के संदर्भ में वैमानिक सेवाएं हैं। इसलिए प्राधिकरण के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत प्रमुख हवाईअड्डों पर स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है।

6.8 प्राधिकरण मैसर्स सैलेबी द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लेता है कि मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा "मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी" है। इसलिए प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए ' लाइट टच अप्रोच' अपनाने का निर्णय लेता है।

6.9 मैसर्स सैलेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण को सैलेबी, बैंगलोर द्वारा तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए यथा प्रस्तावित इन दस्तावेजों पर विश्वास है।

6.10 दिनांक 31.05.2021 के परामर्श पत्र संख्या 06/2021-22 में किए गए प्रस्तावों पर मैसर्स सैलेबी सहित किसी भी हितधारक से कोई टिप्पणी/विचार प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से प्राधिकरण यह मानता है कि इस परामर्श पत्र में शामिल प्रस्ताव पर हितधारकों को कोई आपत्ति नहीं है।

6.11 प्राधिकरण विश्लेषण और जांच के आधार पर यह निर्णय लेता है कि अनुमोदित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

6.12 मैसर्स सैलेबी अपने नॉन-शेड्यूल प्रचालनों के लिए टैरिफ दरों को ऐरा द्वारा समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए अनुमोदित टैरिफ दर से अधिक नहीं करेगा ।

आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और मैसर्स सैलेबी द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलोर में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा **"मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी"** है। इसलिए प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए **'लाइट टच अप्रोच'** अपनाने का निर्णय लेता है।

(ii) प्राधिकरण ने मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक) के लिए "संलग्लक–I" के अनुसार **1 सितम्बर, 2021** से संशोधित टैरिफ लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया।

(iii) निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) मैसर्स सैलेबी अपने नॉन-शेड्यूल प्रचालनों के लिए टैरिफ दरों को ऐरा द्वारा समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए अनुमोदित टैरिफ दर से अधिक नहीं करेगा ।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्रा.लि.
कमरा संख्या सीई 01, इंपोर्ट बिल्डिंग 2, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल,
आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली - 110 037
(मार्फत: श्री मुरली रामचन्द्रन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

प्रतिलिपि:

i. **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.**

ii. **श्री हरी मरार, सीईओ, बीआईएएल**

टैरिफ दर कार्ड

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – केआईए, बैंगलोर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा

तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021 -22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए शेड्ल्यूड/ नॉन शेड्ल्यूड एयरलाइनों द्वारा अदा की जा जाने वाली अधिकतम दर

राशि (*रूपयों में*)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2025-26		
	Pax	**Ramp**	**Full**	**Pax**	**Ramp**	**Full**	**Pax**	**Ramp**	**Full**	**Pax**	**Ramp**	**Full**	**Pax**	**Ramp**	**Full**
अंतरदेशीय यात्री उड़ान															
CODE B	3500	5600	9100	3500	5600	9100	3675	5880	9555	3675	5880	9555	3859	6174	10033
CODE C	11270	20930	32200	11270	20930	32200	11834	21977	33811	11834	21977	33811	12426	23076	35502
CODE D	29295	70525	99820	29295	70525	99820	30760	74051	104811	30760	74051	104811	32298	77754	110052
CODE E	37975	81375	119350	37975	81375	119350	39874	85444	125318	39874	85444	125318	41868	89716	131584
CODE F	42315	108500	150815	42315	108500	150815	44431	113925	158356	44431	113925	158356	46653	119621	166274
अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान															
CODE B	4550	8450	13000	4550	8450	13000	4778	8873	13651	4778	8873	13651	5017	9317	14334
CODE C	28600	57200	85800	28600	57200	85800	30030	60060	90090	30030	60060	90090	31532	63063	94595
CODE D	41850	100750	142600	41850	100750	142600	43943	105788	149731	43943	105788	149731	46140	111077	157217
CODE E	54250	116250	170500	54250	116250	170500	56963	122063	179026	56963	122063	179026	59811	128166	187977
CODE F	60450	155000	215450	60450	155000	215450	63473	162750	226223	63473	162750	226223	66647	170888	237535
अंतरदेशीय मालवाहक उड़ान															
CODE C	NA	58080	NA	NA	58080	NA	NA	60984	NA	NA	60984	NA	NA	64033	NA
CODE D	NA	85800	NA	NA	85800	NA	NA	90090	NA	NA	90090	NA	NA	94595	NA
CODE E	NA	99000	NA	NA	99000	NA	NA	103950	NA	NA	103950	NA	NA	109148	NA
CODE F	NA	132000	NA	NA	132000	NA	NA	138600	NA	NA	138600	NA	NA	145530	NA
अंतरराष्ट्रीय मालवाहक उड़ान															
CODE C	NA	63360	NA	NA	63360	NA	NA	66528	NA	NA	66528	NA	NA	69854	NA
CODE D	NA	93600	NA	NA	93600	NA	NA	98280	NA	NA	98280	NA	NA	103194	NA
ODE E	NA	112500	NA	NA	112500	NA	NA	118125	NA	NA	118125	NA	NA	124031	NA
CODE F	NA	144000	NA	NA	144000	NA	NA	151200	NA	NA	151200	NA	NA	158760	NA

नोट : उपर्युक्त टैरिफ दरों में लागू सभी कर शामिल नहीं है।